SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 THE PROCEDUR CODE, 1898 CIMINAL जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड In the court of प्रकरण कमांक Name and address of the complain मoप्रo शासन द्वारा पुलिस थाना. प्रशासन भिण्ड म०प्र0 name, parentage, casterand address of accused The offence complained of, and date of its alleged commission
आपने दिनांक कि कि की कि संघ स्थान ..........में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला। तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों। The plea of the accused and bis examination [if any]--LUSSER Safar E. आरोपी का अभिवाक-मनायमाणाल्य विपामितिह

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

## / / निर्णय / /

## (आज दिनांक ... 3 .१०.४) को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया	
जाना स्वीकार किया।	

अभियुक्त / अभियुक्त गण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजिनक धूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक घूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

4. प्रकरण में जप्तशुदा किये जाते है अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।

रथान-भिण्ड

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया.

न्यायिक मिल्लोन प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-निण्ड (म.प्र.)